न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
तीजादेवी पत्नी कानारामजी जाति रेबारी निवासी वाडका तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024

–:आदेश:– दिनांक 08.05.2024

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा वाडका पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज की नया खाता संख्या 04 के खसरा नम्बर 103/37 में रकबा 0.16 बिस्वा भूमि आई हुई है तथा खाता सं0 04 में ही खसरा नं0 37/1 में रकबा 28.15 बीघा भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अपने निहित हिस्से पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि संवत 2076–2079 की खतौनी में प्रार्थीया का नाम नवु पत्नी कानाराम जाति रेबारी सा0 देह खावेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के अन्य सरकारी अथवा गैर–सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे–आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक वगैरह में प्रार्थीया का नाम तीजादेवी पत्नी कानाराम जाति रेबारी है, जो कि सही एवं सत्य है एवं उक्त दोनों नाम का व्यक्ति प्रार्थी एकमात्र स्वयं है। अतः प्रार्थीया ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 06.03.2024 को अपना जवाब पेश किया एवं दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता ने उपरोक्त आराजी के सहखातेदारों का प्रार्थीया का नाम शुद्धि करने का शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया का नाम शुद्धि किया जाने की सहमति प्रदान की। दिनांक 21.05.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज ने बहस की गई, जिसे सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में पुनः कथन किये कि प्रार्थीया के समस्त सरकारी दस्तावेजों व सहखातेदारों के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थीया का नाम उपरोक्त आराजी में नवु पत्नी कानाराम जाति रेबारी के स्थान पर तीजादेवी पत्नी कानाराम जाति रेबारी नाम दुरस्त करने का पुनः निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा वाडका पटवार हल्का जोगापुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही की राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता सं0 18 खसरा नम्बर 103/37 रकबा 0.1295 हेक्टयर व खाता सं0 19 खसरा नम्बर 37/1 रकबा 4.6539 हैक्टयर भूमि में दर्ज सहखातेदार नवु पत्नी कानाराम के स्थान पर **तीजादेवी पत्नी कानाराम** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.24 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

क्रमांकः–कोर्ट/2024/303 दिनांक 21–05–2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)